

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

प.19(4)न्याय/2019

जयपुर दिनांक: 25-09-19

:: सूचना ::

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश क्रमांक: RHC/Exam Cell/RJS/DJC/2018/570 Dated: 22.09.2018 के द्वारा राजस्थान न्यायिक सेवा के जिला जज संवर्ग में चयनित 05 अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे पूर्वाचरण के बारे में Attestation Form की दो प्रतियों में पूर्ति कर दो अलग-अलग राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापित करा कर स्वयं के दो रंगीन छायाचित्र सहित इस विभाग को सात दिवस में भिजवाने का श्रम करें ताकि अभ्यर्थियों की राजस्थान न्यायिक सेवा के जिला जज संवर्ग में नियुक्ति की आवश्यक कार्यवाही की जा सकें। इस संबंध में Attestation Form की PDF प्रति विभागीय पोर्टल [law.rajasthan.gov.in](http://law.rajasthan.gov.in) पर अपलोड कर दी गई है।

  
25-09-19

(मधुसूदन शर्मा)  
संयुक्त शासन सचिव